भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2466

दिनांक 03.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

उर्वरकों की गुणवत्ता

2466: श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के. सुरेश:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार को स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए या भारत में आयात किए गए नकली या घटिया रसायनों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रसायनों की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने नकली रसायनों की आपूर्ति में शामिल किसी व्यक्ति और कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): भारत में आयात किए गए अथवा स्थानीय विनिर्माता द्वारा घटिया और नकली रसायनों की आपूर्ति के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नही हुई है।

(ग): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) रसायनों के लिए मानक तैयार करता है और अधिकांश मानक वर्तमान में स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। गुणवत्ता वाले रसायनों के उत्पादन और आयात को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत कुछ रसायनों के लिए बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए एक कवायद शुरू की है। तद्नुसार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने बीआईएस मानक अनिवार्य बनाने के लिए अभी तक 48 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को अधिसूचित किया है।

(घ) और (ड.): उपरोक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं है।

******